

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०  
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना-23, दिनांक-11-03-26

विषय: अग्निकांड की आपदा से निपटने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय पत्रांक-1061/आ0प्र0, दिनांक-08.03.2016 द्वारा निर्गत "अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)" एवं समय-समय पर विभाग द्वारा दिए गये निदेश का स्मरण किया जाय। ग्रीष्मकाल में राज्य के विभिन्न जिलों में अग्निकांड की संभावना काफी बढ़ जाती है। राज्य सरकार की नीति है कि अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित जिले के आपदा प्रबंधन के उत्तरदायी पदाधिकारी एवं उनकी टीम घटनास्थल पर पहुँचे एवं त्वरित गति से पीड़ितों को साहाय्य प्रदान किया जाए। भीषण अग्निकांड होने पर संबंधित जिला पदाधिकारी को स्वयं घटना स्थल पर शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर साहाय्य की व्यवस्था करानी है। इस संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिलों को समय-समय पर व्यापक अनुदेश/निदेश दिये गए हैं।

2. मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अग्निकांड की आपदा के प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के स्तर से निम्न कार्रवाइयाँ की जाएँगी :-

- (i) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही अंचल अधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पर अग्निकांड की बड़ी घटना प्रतिवेदित हो, वहाँ जिला पदाधिकारी स्वयं शीघ्रातिशीघ्र पहुँच कर राहत एवं बचाव कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) अग्निकांड की सूचना प्राप्त होते ही आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया जाएगा। यदि राज्य स्तर से इस संबंध में सहयोग की आवश्यकता हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC), पटना के दूरभाष संख्या-0612 2294204 एवं 2294205 तथा ईमेल-seoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर अविलंब सूचित किया जाएगा।

९

- (iii) विभिन्न आपदाओं के दौरान बेहतर निर्णय लेने एवं त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करने के उद्देश्य से विभाग के द्वारा निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision Support System-DSS) आधारित वेब एप्लीकेशन (<https://iresponse.bihar.gov.in>) एवं मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर विभिन्न आपदाओं के संबंध में रियल टाईम रिपोर्टिंग की जाती है। अतएव अग्निकांड की घटना से संबंधित आँकड़ा दैनिक प्रतिवेदन DSS पोर्टल (<https://iresponse.bihar.gov.in>) पर अपलोड करते हुए उसका हस्ताक्षरित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- (iv) गर्मी के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में अभी से ही फायर ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको सुपरिभाषित कार्यभार सौंपे जा सकते हैं।
- (v) अग्निकांड पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर अनुमान्य साहाय्य, यथा, पॉलिथीन शीट, नकद अनुदान तथा वस्त्र एवं बर्तन के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अविलंब किया जाएगा।
- (vi) जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर इसका Geo tagging एवं फोटोग्राफी कराकर गृह क्षति अनुदान का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाएगा।
- (vii) राहत एवं बचाव कार्यो को सुनिश्चित करने एवं पर्यवेक्षण हेतु कर्मचारी/ पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएँगे।
- (viii) भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केन्द्र संचालित किए जाएँगे। विशेष राहत केन्द्रों के संचालन के संबंध में विभागीय पत्रांक-725/आ0प्र0, दिनांक-15.03.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला प्रशासन/गृह विभाग (अग्निशाम सेवाएँ) द्वारा कार्रवाई की जाएगी :

- (i) गर्मी के मौसम के प्रारंभ में ही अगजनी की घटनाओं को रोकने एवं घटना घटित होने पर साहाय्य प्रदान करने के लिए पूर्व तैयारियाँ अविलम्ब पूरी कर ली जाय।
- (ii) जिला मुख्यालय में अग्निकांड से संबंधित घटनाओं के पर्यवेक्षण एवं सहाय्य कार्य के अनुश्रवण हेतु जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र (DEOC) को कार्यशील कर दिया जाय। उक्त केन्द्र का प्रभार किसी वरीय पदाधिकारी को दिया जाय। साथ ही, उक्त केन्द्र में दूरभाष की व्यवस्था भी की जाय एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त दूरभाष संख्या की जानकारी सभी को दी जाय।

- (iii) फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवश्यकतानुसार मरम्मत अविलम्ब करा ली जाय। जहाँ चालक आदि की समस्या है, स्थानीय व्यवस्था द्वारा इसे दूर कर ली जाय।
- (iv) आवश्यकता के समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सुदूर देहातों में समय पर पहुँच सके, इसके लिए यथासंभव अनुमंडल मुख्यालयों/थानों में भी गाड़ियों को रखने की व्यवस्था की जाय, खासकर जिन क्षेत्रों का रास्ता दुर्गम हो।
- (v) अगजनी की घटनाओं की निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि वे अपने क्षेत्र में अग्निकांड की रोकथाम हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे।
- (vi) अग्निकांड की रोकथाम हेतु जिला पदाधिकारी अपने जिला क्षेत्र में निम्नलिखित तथ्यों को प्रचारित/प्रसारित कराएँगे :-
- (क) हवा के झोंकों के तेज होने के पहले ही खाना पकाकर चूल्हे की आग को पानी से पूरी तरह बुझा दें।
- (ख) चूल्हे की आग की चिंगारी पूरी तरह बुझी हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।
- (ग) घर से बाहर जाते समय बिजली का स्विच ऑफ हो, इसे सुनिश्चित कर लिया जाए।
- (घ) खाना वैसी जगह पकाया जाय, जहाँ हवा का झोंका न लगे।
- (च) बीड़ी-सिगरेट पीकर इधर-उधर या खलिहान की तरफ न फेंकें।
- (छ) गाँव/मोहल्लों में जल एवं बालू संग्रहण की व्यवस्था रखी जाय, ताकि आग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।
- (ज) अगजनी से बचाव हेतु उपाय 'क्या करें-क्या न करें' को अग्नि प्रवण क्षेत्रों में प्रसारित कराया जाय।
- (vii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'फायर बूथों' की स्थापना लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। प्रत्येक गाँव में 'फायर बीटर्स', फायर टैंक, बाल्टी, रस्सी एवं कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उपकरण सार्वजनिक स्थल पर रखवाने की व्यवस्था पंचायत की मदद से की जा सकती है।

- (viii) प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करने हेतु वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए लागू साहाय्य मानदर विभागीय पत्रांक-6304/आ0प्र दिनांक-31.12.2022 द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। साथ ही, साहाय्य मानदर की कंडिका-1(e) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु राज्य आपदा रिस्पॉंस कोष (SDRF) से पूर्व में निर्धारित ₹6,000/- प्रति परिवार आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि का पुनर्निर्धारण करते हुए अगले आदेश तक ₹7,000/- प्रति परिवार की दर से आनुग्रहिक राहत (GR) की राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। जिसे विभागीय पत्रांक-2674/आ0प्र0 दिनांक-30.06.2023 द्वारा संसूचित किया गया है। जो आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html> पर भी उपलब्ध है। साहाय्य मानदर की कंडिका-1(d) में प्राकृतिक आपदा के समय बर्तन/घरेलू सामान एवं वस्त्र नष्ट हो जाने पर क्रमशः ₹2,500/- एवं ₹2,500/- की राशि का भुगतान करने का प्रावधान है।
- (ix) अग्निकांड से राज्य के कृषकों के खेत में लगी फसल अथवा खलिहान में रखी गई फसल की क्षति हेतु एस0डी0आर0एफ0 से अनुमान्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक-6304/आ0प्र0 दिनांक-31.12.2022 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर की कंडिका-5(ख) में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत किया जाएगा।
- (x) अग्निकांड से मकान/झोपड़ी की क्षति एवं पशुक्षति के लिए विभागीय पत्रांक-6304/आ0प्र0 दिनांक-31.12.2022 द्वारा संसूचित साहाय्य मानदर की कंडिका क्रमशः 10 एवं 6 में उल्लिखित प्रावधान के अनुरूप अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
- (xi) यदि साहाय्य राशि की आवश्यकता हो तो उसकी मांग आपदा प्रबंधन विभाग से तत्काल की जाय। परन्तु इस मद में राशि अनुपलब्ध रहने पर भी जिले में उपलब्ध किसी भी मद की राशि से अग्निपीड़ित परिवारों को साहाय्य मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु जिले में उपलब्ध चक्रीय निधि (Revolving Fund) का उपयोग किया जा सकता है।
- (xii) साहाय्य कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् अग्निकांड से हुई क्षति एवं किये गए साहाय्य कार्यों का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर सरकार को प्रतिवेदित करेंगे।
- (xiii) यदि मुख्यालय से किसी भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारियों से ससमय सम्पर्क स्थापित किया जाए।

(xiv) सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं अद्यतन मानदर से संबंधित पत्र सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है, एवं विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/disastermgmt/CitizenHome.html> पर भी उपलब्ध है।

अतः अनुरोध है कि अगजनी की घटना की रोकथाम एवं उसके घटित होने पर उपर्युक्त निदेशों के आलोक में राहत एवं बचाव संबंधी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,

16/03/26  
सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/730/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26  
प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/730/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26  
प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पंचायती राज विभाग/बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/730/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26  
प्रतिलिपि: महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अग्निकांड होने पर अग्निशामन दलों को त्वरित ढंग से घटना स्थल पर जाकर अग्निशामन के कार्य को सम्पादित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किया जाय। साथ ही अग्निशामन केन्द्र प्रभारियों की दूरभाष संख्या सभी जिला पदाधिकारियों एवं इस विभाग को उपलब्ध कराने तथा समाचार पत्रों में भी समय-समय पर प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक-01/प्रा0आ0(अग्निकांड)-05/2024/730/आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26  
प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/26  
सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)-05 / 2024 / 730 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26

**प्रतिलिपि:** माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)-05 / 2024 / 730 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26

**प्रतिलिपि:** प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC) / आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक-01 / प्रा0आ0(अग्निकांड)-05 / 2024 / 730 / आ0प्र0 पटना-23, दिनांक-11-03-26

**प्रतिलिपि:** सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव

**बिहार सरकार**  
**आपदा प्रबंधन विभाग**  
**अगजनी से बचाव हेतु उपाय**

**क्या करें**

- स्टोव या लकड़ी, गोइठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानी बरतें। हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनावें।
- गेहूँ ओसनी का काम हमेशा रात में तथा गाँव के बाहर खलिहान में जाकर करें।
- घर व खलिहान पर समुचित पानी व बालू की व्यवस्था रखें।
- खाना पकाते समय रसोईघर में वयस्क मौजूद रहें, बच्चों को अकेला न छोड़ें।
- खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुँच पाए, इस बात की पूरी तसल्ली कर लें।
- सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी सम्पत्ति में आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद कर जागरूक नागरिक अवश्य बनें।
- तौलिये या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन उतारने के लिए करें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें।
- तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें या सिर्फ बेकिंग सोडा, नमक डालें या उसे ढंक दें।
- खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपको मदद चाहिए।
- गैस चूल्हे का इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सिलिंडर का नॉब तुरंत बंद कर दें।
- बिजली तारों एवं उपकरणों की नियमित जाँच करें।
- घर में अग्निशमन कार्यालय तथा अन्य आपातकालिन नंबर लिखा हुआ हो और घर के सभी सदस्यों को इन नंबरों के बारे में पता हों।
- आग लगने पर दमकल विभाग को फोन करें और उन्हें अपना पूरा पता बतायें फिर दमकल विभाग जैसा कहें वैसा ही करें।

**क्या न करें**

- बच्चों को माचिस या आग फैलाने वाले एवं अन्य सामानों के पास न जाने दें।
- बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पीकर जहाँ-तहाँ न फेंकें, उसे पूरी तरह बुझने के बाद ही फेंकें।
- चूल्हा, ढिबरी, मोमबत्ती, कपूर इत्यादि जलाकर न छोड़ें।
- अनाज के ढेर, फूस या खपडैल की झोपड़ी के निकट अलाव व डीजल इंजन नहीं चलाएँ।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएँ।
- आपके कपड़े में अगर आग लग जाए तो दौड़ना नहीं चाहिए बल्कि जमीन पर लेटकर गोल-गोल कर आग बुझावें।
- खाना बनाने के समय ढीले-ढाले कपड़े न पहनें।
- अग्नि दुर्घटना के दौरान कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें।
- गैस की दुर्गंध आने पर बिजली के स्वीच को न छुएँ।
- खाना पकाते समय रसोईघर में बच्चों को अकेला न छोड़ें।



Govt. of Bihar Department of Disaster  
Management Fire Daily Report (Dated  
On -----)

Name of the District:			Date:	
1	Block			
2	Number of incidents (Today)			
3	Number of incidents (Cumulative)			
3A	Addresses of the places of incidents			
4	Number of deaths		Today	Cumulative
	Human			
	Cattle			
		Poultry		
5	Number of injured		Today	Cumulative
	Human			
	Cattle			
		Poultry		
6	Ex-gratia details		Today	Cumulative
	Number of deceased for whom payment of ex-gratia done			
	Number of dead cattles for which payment done			
		Number of dead poultry for which payment done		
7	Number of damaged houses		Today	Cumulative
	Concrete	Complete		
		Partial		
	Kutchha	Complete		
		Partial		
Cottage/Hut				
Total number of damaged houses				
8	Number of damaged houses for which payment done		Today	Cumulative
	Concrete	Complete		
		Partial		
	Kutchha	Complete		
		Partial		
Cottage/Hut				
Total number of damaged houses for which payment done				
9	Cattle shed details		Today	Cumulative
	Number of damaged cattle sheds			
	Number of damaged cattle sheds for which payment done			
		Amount paid against cattle shed (Rs)		

10	Crop Type		
	Damaged Crop		Today Cumulative
	Area of damaged crop (in acre)		
	Estimated value of damaged crops (Rs.)		
11	Relief Distribution		Today Cumulative
	Amount paid under the agriculture input subsidy (Rs)		
	Area of crop for which agriculture input subsidy paid (in acre)		
	Total amount of GR paid @Rs. 7000 per family		
	Total amount paid for cloth/utensils etc. @5000 per family (Rs)		
	Number of polythene sheets distributed		
	Quantity of Dry ration distributed (Kg.)		
12	Remarks		

Letter No..

Date:

Copy:

Signature of District Officers/

Additional District Magistrate(ADM)(Disaster Management)/

Officer in Charge(District Disaster Management)/